न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 07/2019 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मूलचन्द जैन, एफबीओ मैसर्सः– शिव सेल्स एजेन्सीज, शर्मा प्रेस के पीछे, मण्डी रोड, दौसा।
2. श्री चन्द्र प्रकाश बंसल निदेशक मैसर्सः– विनायक मैन्यूट्रेड प्रा. लि. 31, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर।
3. श्री प्रतीक बंसल निदेशक मैसर्सः– विनायक मैन्यूट्रेड प्रा. लि. 31, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर।
4. मैसर्सः– विनायक मैन्यूट्रेड प्रा. लि. 31, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर।

– अभियुक्तगण–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्तगण सं 1 उपस्थित।
: श्री वीरेन्द्र सिंह प्रतिनिधि अप्रार्थी अभियुक्तगण सं 2 लगायत 4 उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–: आदेश :– दिनांकः– 03.04.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 14.06.2018 को दोपहर 01:30 बजे मैसर्सः– शिव सेल्स एजेन्सीज, शर्मा प्रेस के पीछे, मण्डी रोड, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मूलचन्द जैन उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विकेता की दुकान में 50 कार्टून में 1 लीटर पैकिंग में पैक **Packaged Drinking Water (Yash)** (50 कार्टून X 12 बोतल X 1 लीटर) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी, में मिलावट का शक होने पर इनमें से 16 मूल पैक बोतल X 1 लीटर वजन के नमूने की जॉच हेतु खरीदी। जिनकी कीमत 112 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। विक्रेता ने मौक पर उक्त खाद्य पदार्थ का इनवॉयस नम्बर 424 दिनांक 22.05.2018 प्रस्तुत किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा पैक **Packaged Drinking Water (Yash)** की 16 बोतलो को चार–चार को चार जगह अलग–अलग

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

बांधकर, बोतलो पर लेबल चिपकाकर बोतलों को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर A.G.–1929 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 15.06.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 15.06.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पॉलीपैक व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.06.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त **Packaged Drinking Water (Yash)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./990/एक्ट/2018/1088 दिनांक 27.06.2018 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त **Packaged Drinking Water (Yash)** का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त **Packaged Drinking Water (Yash)** के लेबल पर **"Best before 6 months from the date of mfg"** के स्थान पर **"BEST BEFORE 6 MONTHS FROM PACKAGING"** प्रिन्ट होना चाहिये था। इस कारण उक्त **Packaged Drinking Water (Yash)** मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मूलचन्द जैन द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार उक्त **Packaged Drinking Water (Yash)** उनके द्वारा मैसर्सः– विनायक मैन्यूट्रेड प्रा. लि. 31, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर से क्रय किया जाकर बाजार में विक्रय किया जाना एवं मिसब्राण्ड के नियमों के बारे में अनभिज्ञता जाहिर किया जाना व्यक्त किया गया। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 लगायत 4 की ओर से प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उपस्थित होकर उक्त **Packaged Drinking Water (Yash)** का संशोधित लेबल प्रस्तुत किया

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

जाकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार उक्त **Packaged Drinking Water (Yash)** के लेबल सम्बन्धी दिशानिर्देशों की जानकारी के अभाव में मानवीय भूल हो जाने के कारण मिसब्राण्ड पाया जाना व्यक्त करते हुए उक्त मानवीय भूल को क्षमा करने का निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संशोधित लेबल का अवलोकन करने के पश्चात् उक्त **Packaged Drinking Water (Yash)** के लेबल पर संशोधन उपरान्त **"BEST BEFORE WITH IN 6 MONTHS FROM THE DATE OF MFG."** के स्थान पर **"BEST BEFORE 6 MONTHS FROM PACKAGING"** प्रिन्ट होना व्यक्त किया जाकर अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध नियमानुसार शास्ति लगाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्रों एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./990/एक्ट/2018/1088 दिनांक 27.06.2018 के अनुसार उक्त **Packaged Drinking Water (Yash)** मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा **Packaged Drinking Water (Yash)** मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 लगायत 4 श्री चन्द्र प्रकाश बंसल निदेशक एवं श्री प्रतीक बंसल निदेशक मैसर्सः– विनायक मैन्यूट्रेड प्रा. लि. 31, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर पर 10000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 03.04.2019 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की शास्ति प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/790-795
दिनांकः– 03.04.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मूलचन्द जैन,
   एफबीओ मैसर्सः– शिव सेल्स एजेन्सीज, शर्मा प्रेस के पीछे, मण्डी रोड, दौसा।
4. श्री चन्द्र प्रकाश बंसल निदेशक
   मैसर्सः– विनायक मैन्यूट्रेड प्रा. लि. 31, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर।
5. श्री प्रतीक बंसल निदेशक
   मैसर्सः– विनायक मैन्यूट्रेड प्रा. लि. 31, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर।
6. मैसर्सः– विनायक मैन्यूट्रेड प्रा. लि. 31, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा